कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone &Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-estapwd@gmail.com

पत्रांकः 629 /01 ए0सी0आर0–व्यक /2025 दिनांक 15/05/2025

सेवामें,

समस्त मुख्य अभियन्ता
क्षेत्रीय / रा0मा0 / ए0डी0बी0 /
विश्व बैंक / पी0एम0जी0एस0वाई0
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पौड़ी / देहरादून।

2– समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता
....
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
....

विषयः– ऑन लाईन के माध्यम से ए0सी0आर0 भरे जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रसंख्या–362 / 01ए0सी0आर0–व्यक / 2022 दिनांक–08.03.2022।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके कार्यालयों में कार्यरत मुख्य वैयक्तिक अधिकारी / वैयक्तिक अधिकारी / वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक / वैयक्तिक सहायक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी यथा नोडल अधिकारी का विवरण निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिखा गया था। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–601 / 01व्यक–ए0सी0आर0 / 2025 दिनांक–07.05.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा वर्ष–2024–25 की ऑनलाईन ए0सी0आर0 भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या–24097 / III(1) / 2022–01(11)अधि0 / 2014 दिनांक–23.03.2022 द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रकिया का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समूह–क, ख, एवं ग श्रेणी के कार्मिकों की ए0सी0आर0 ऑनलाईन ए0सी0आर0 पोर्टल (https://mis.pwduk.in.hrms) के माध्यम से भरी जा रही है। प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय नामित नोडल अधिकारी सेवानिवृत्त / स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त अद्यतन नोडल अधिकारी की सूचना की आवश्यकता है। जिस हेतु आपके कार्यालयों में कार्यरत मुख्य वैयक्तिक अधिकारी / वैयक्तिक अधिकारी / वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक / वैयक्तिक सहायक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाते हुये नोडल अधिकारी का विवरण निम्न प्रारूप में एक सप्ताह के भीतर मुख्य अभियन्ता के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

क.सं.	नाम / पदनाम	कर्मचारी कोड संख्या	कार्यालय का नाम	कमांक–2 पर उल्लेखित कार्मिक की ई–मेल आई0डी0	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

(प्रमोद कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपिः–वैयक्तिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
...e & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@g...

...क– 362 / 01ए०सी०आर०–व्यक / 2022 दिनांक 08 / 03 / 2022

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता
क्षेत्रीय / रा०मा० / ए०डी०बी० /
विश्व बैंक / पी०एम०जी०एस०वाई०
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पौड़ी / देहरादून।

2– समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता
....
लोक निर्माण विभाग,
....

विषयः– ऑन लाइन माध्यम से ए०सी०आर० भरे जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– शासन के पत्रांक–78 / XXX(2) / 2022–55(26) / 2002 दि0 11.02.2022 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के कम में आप विदित ही है कि वर्ष 2021–22 से लोक निर्माण विभाग के श्रेणी क, ख एवं ग के कार्मिकों की ए०सी०आर० केवल ऑनलाइन ए०सी०आर० पोर्टल (https://mis.pwduk.in.hrms) के माध्यम से भरी जायेगी। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2021–22 के किसी एक या अधिक भाग की ए०सी०आर० यदि प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी / स्वीकर्ता अधिकारी के सेवानिवृत होने के दृष्टिगत पूर्व में ही प्रतिवेदक अधिकारी अथवा उच्च स्तर से भरी जा चुकी है तो ऐसी ए०सी०आर० को भी ऑनलाइन अंकित किया जाना है, जिसके कम में आपके कार्यालय में कार्यरत मुख्य वैयक्तिक अधिकारी / वैयक्तिक अधिकारी / वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक / वैयक्तिक सहायक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाते हुए उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

अतः अपने कार्यालय में कार्यरत मुख्य वैयक्तिक अधिकारी / वैयक्तिक अधिकारी / वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक / वैयक्तिक सहायक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी का विवरण निम्न प्रारुप में दो कार्य दिवसों के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क० सं०	नाम / पदनाम	कर्मचारी कोड संख्या	कार्यालय का नाम	कमांक 2 पर उल्लेखित कार्मिक की ई–मेल आई०डी० (कार्यालय की ई–मेल आई०डी० नहीं दी जानी है)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

8/3/22
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान– I) को विभागाध्यक्ष कार्यालय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8/3/22
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक : 601 /01 ए०सी०आर०-व्यक/25

दिनांक – 07 मई, 2025

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख' व 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–22 से ऑनलाईन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 24097/III(1)/2022–01(11)अधि0/2014 दिनांक 23 मार्च 2022 द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रकिया का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 553/01ए0सी0आर0–व्यक/2022 दिनांक 19.04.2022 एवं पत्रांक 39/37कैम्प/वा0गो0आ0–2/2022 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय कार्मिकों (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृता प्राधिकारी) के स्तर से वार्षिक गोपनीय आख्या प्रविष्टि के अंकन किये जाने में उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सम्बन्धित कार्मिक के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों (पदोन्नति/ए0सी0पी0) के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है।

यह भी संज्ञान में आया है कि यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर स्वमूल्यांकन आख्या शासनादेशानुसार निर्धारित समय–सारिणी के आधार पर भर दी जाती है तो भी वह सम्बन्धित प्रतिवेदक प्राधिकारी के स्तर पर ही लम्बित पड़ी रहती है और निर्धारित समय-अवधि के भीतर प्रविष्टि अंकित न किये जाने पर कार्मिक की वार्षिक गोपनीय आख्या समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है, जिस कारण उनके सेवा–सम्बन्धी प्रकरण बाधित होते है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिक शासनादेश संख्या 24097/III(1)/2022–01(11)अधि0/2014 दिनांक 23 मार्च 2022 में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार स्वंय की वार्षिक गोपनीय आख्या विभागीय एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित किया जाना सुनिश्चित करें एवं तत्पश्चात् सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृता अधिकारी द्वारा निर्धारित समयानुसार उनकी ए0सी0आर0 में प्रविष्टि अंकित करते हुये अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या निर्धारित अवधि के भीतर नहीं भरी जाती है तो इस कार्यालय के पत्रांक 553/01ए0सी0आर0–व्यक/2022 दिनांक 19.04.2022 में शासनादेश संख्या 24097/III(1)/2022–01(11)अधि0/2014 दिनांक 23 मार्च 2022 के बिन्दु संख्या iii के अनुसार दिये गये निम्न निर्देशों के कम में कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये–

1. कनिष्ठ अभियन्ता से कार्यालयाध्यक्ष स्तर तक के कार्मिक ऑनलाईन ए0सी0आर0 पोर्टल पर स्वंय से सम्बन्धित ऑनलाईन मूलभूत सूचनायें/Work Flow की प्रविष्टि करते हुये प्रत्येक वर्ष 15 मई तक ऑनलाईन ए0सी0आर0 को पोर्टल पर सृजित करेंगे तथा Acknowledge करेगें।
2. यदि 15 मई तक कार्मिकों द्वारा स्वंय से सम्बन्धित ऑनलाईन मूलभूत सूचनायें/ Work Flow की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो उक्त ऑनलाईन मूलभूत सूचनायें/ Work Flow की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्यालय के नामित नोडल अधिकारी द्वारा 31 मई तक सृजित करते हुये Acknowledge किया जायेगा।
3. नमित नोडल अधिकारी को प्राप्त अधिकारों के अनुरूप स्वंय के कर्मचारी कोड से कार्मिक से सम्बन्धित ऑनलाईन मूलभूत सूचनायें/ Work Flow की प्रविष्टि करते हुये ऑनलाईन ए0सी0आर0 सृजन एवं Acknowledge की कार्यवाही करनी होगी।

सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह अपने नियन्त्रणाधीन कार्मिक की आलोच्य अवधि की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रविष्टि अंकित करते हुये सम्बन्धित समीक्षक अधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर अग्रसारित किये जाने की कार्यवाही करेंगें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक एवं प्रतिवेदक अधिकारी का होगा।

(इ0राजेश चन्द्र शर्मा) 7/5/2025
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II (क्षेत्रीय/रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर– I/II (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड (आयोजन-I)।
6. समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. समस्त वैयक्तिक अधिकारी/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/वैयवित्तक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. बजट वर्ग/प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. सम्बन्धित नोडल अधिकारी (ऑनलाईन ए0सी0आर0 पोर्टल), क्षेत्रीय/रा0मा0/वृत्तीय/खण्डीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड.....................।
10. समस्त कार्मिक, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।